~~निग - 1694 - III - 14~~

समक्ष- मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प, सागर(म०प्र०)

निग - 1694 - III - 14

(१) मुहम्मद अन्सार
(२) मुहम्मद हफीज
दोनो आत्मज अब्दुल लतीफ

दोनो निवासी परकोटा वार्ड, सागर — — पुनरीक्षण कर्ता

-: विरुद्ध :-

१- सतीश चौकसे पिता श्री लक्ष्मण सिंह चौकसे
निवासी गोपालगंज, सागर तह० जिला सागर
२- नीलु मसीन पत्नि श्री संजय मसीन,
निवासी रौनक नर्सरी, टेलीफोन एक्सचेन्ज के सामने,
केन्टोन्मेंट सागर तहसील व जिला सागर — — प्रति पुनरीक्षण कर्तागण

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भू-राजस्व संहिता

पुनरीक्षण कर्ता/अनावेदकगण की ओर से श्रीमान अपर तहसीलदार सागर द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक ८३६-बी।१२१ वर्ष ११-१२ में दिनांक ३०।७।१३ को पारित आदेश से दुखित होकर निम्न आधारो पर यह पुनरीक्षण प्रस्तुत किया जाता है -

<u>प्रकरण के तथ्य</u>

१- यहकि, प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैकि पुनरीक्षण कर्तागण ने दिनांक २१।११।२०१२ को एक आपत्ति। आवेदन अन्तर्गत-धारा ३२ म०प्र० भू-राजस्व संहिता के प्रति पुनरीक्षण कर्ता सतीश चौकसे ने इस आशय का प्रस्तुत किया कि पुनरीक्षणकर्ता ने प्रति पुनरीक्षण कर्ता श्रीमति नीलु मसीन से मौजा सिरोजा स्थित भूमि ख०न० ३५४।२ एवं ख०न० ३६२।१ की भूमि का बैनामा प्रति पुनरीक्षण कर्ता नीलु मसीन से सतीशचौकसे एवं नीलु मसीन के मध्य दिनांक १५।७।२००६ के ~~विरुद्ध~~ अनुबंध की जानकारी होते हुए दिनांक २२।१०।११ को करा लिया है, इस कारण पुनरीक्षण कर्ता का बैनामा अवैध एवं शून्य है, तथा इसी कारण

R-1694-III/14 सागर

26.6.14

आवेदक के अभिभाषक व्दारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर एंव निगरानी मेमो के तथ्यों पर विचार किया गया।

2/ यह निगरानी तहसीलदार सागर व्दारा प्रकरण कमांक 836 बी 121/11-12 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 30.7.13 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 28-5-14 को प्रस्तुत की गई है। यह सही है कि तहसीलदार के न्यायालय में पेशी 6-7-13 के वाद से आवेदकगण अनुपस्थित रहे है। अस्तु अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन समाधान-कारक होने से मान्य किया जाता है।

3/ तहसीलदार के अंतरिम आदेश दिनांक 30-7-13 का अवलोकन किया गया। उन्होंने प्रकरण में आगे की कार्यवाही इसलिये स्थगित की है क्योंकि द्वित्तीय अपर न्यायाधीश सागर व्दारा आदेश दिनांक 8-5-13 से अपर तहसीलदार के न्यायालय में विचारित संपत्ति पर स्थगन जारी किया है।मान. व्यवहार न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी है यदि आवेदक मान. द्वित्तीय अपर न्यायाधीश सागर के स्थगन आदेश दिनांक 8-5-13 से दुखी है तब ऐसे आदेश के विरूद्ध मान. द्वित्तीय अपर न्यायाधीश सागर के वरिष्ठ न्यायालय में अपील/निगरानी होगी, जिसके कारण तहसीलदार सागर का आदेश दिनांक 30-7-13 विधिवत् पाये जाने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अस्तु निगरानी अमान्य की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा करें।

30/6/14

(signature)
सदस्य

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 1420 / III / 2014 जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एव अभिभाषकों के हस्ताक्षर
26.6.14	यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 140 / अ-13 / 10-11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30.11.13 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1059 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।	
	2/ निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क श्रवण किये तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।	
	3/ आवेदिक के अभिभाषक व्दारा बताया गया कि मौजा तिली माफी स्थित खसरा नंबर 12 एंव 13 तथा 35/1 की भूमि आवेदिका की है नायव तहसीलदार ने प्र.क. 48 अ 12/08-09 से दिनांक 18-5-09 को पड़ोसी कारतकारों के समक्ष मेढ़ कायम की है कोई आपत्ति नहीं आई । इसके उपरांत अनावेदकगण ने नायव तहसीलदार के यहां संहिता की धारा 131 का गलत आवेदन दिया तथा बताया कि आवेदिका ने अनावेदकगण की मेढ के रास्ते को अवरूद्व किया है। नायव तहसीलदार ने प्र.क. 2 अ 13/08-09 पंजीबद्व करके सुनवाई में लिया तथा दिनांक 22.7.09 को आवेदिका की अनुपस्थिति में स्थल निरीक्षण किया, जिस पर आवेदिका ने 30-7-09 को आपत्ति की और आपत्ति पर आदेश हेतु 6-8-09 की तिथि नियत कर दी, जिसके विरूद्व अपर कलेक्टर सागर के यहॉं निगरानी कमांक 9 अ 13/09-10 दायर की , जिसे अपर कलेक्टर व्दारा 20.1.11 से गलत ढंग से निरस्त किया। अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी कमांक 140/अ-13/10-11 प्रस्तुत करने पर आवेदिका के हितों को जाने बिना एंव वास्तविक स्थिति को अनदेखा करके आदेश	

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर, केम्प सागर

R-1200-III/14

श्रीमति जानकीबाई पटेल पत्नि शंकर पटेल

निवासी तिली बाघराज वार्ड सागर

तहसील व जिला सागर म०प्र०

— आवेदिका

बनाम

1- मोहन तनय स्व० श्री गोकल पटेल

2- राधेलाल चौरसिया

3- द्रौपतीबाई पत्नि किशोरी पटेल

4- श्रीराम पटेल वल्द गोकल पटेल

5- नर्मदा वल्द नत्थू पटेल

6- तरवर पटेल वल्द गोरेलाल पटेल

7- रमेश पटेल वल्द रामरतन पटेल

सभी निवासी तिली वार्ड, सागर

तहसील व जिला सागर — अनावेदकगण

रिवीजन अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू-राजस्व संहिता 1959

आवेदिका । पुनरीक्षणकर्ता न्यायालय श्रीमान आयुक्त महोदय सागर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 14 अ।6।13 वर्ष 2010-11 में पारित आदेश दिनांक 30-11-2013 से परिवेदित होकर नीचे लिखे आधारों पर यह पुनरीक्षण प्रस्तुत करती है :-

1- यह कि, संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि आवेदिका की मौजा तिली माफी प०ह०नं० 44 तहसील व जिला सागर में खसरा नंबर 12 व 13 एवं 35।1 रकबा क्रमशः 1-259, 0-134 एवं 0-125 हेक्टेयर भूमि स्थित है । आवेदिका द्वारा श्रीमान नायब तहसीलदार सागर के न्यायालय में उपरोक्त भूमि के

-2